

26

जयपुर, दिनांक
27/10

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.5(302)खान/ग्रुप-2/07

जयपुर, दिनांक : 26 JUN 2010

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की अधिसूचना संख्या प. 5(302)खान/ग्रुप-2/07 दिनांक 31 मार्च, 2008 द्वारा खनिज रियायती नियम, 1960 के नियम 75 के अन्तर्गत निकट ग्राम बड़ीसर आदि तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में 2.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनिज मैगनीज एवं अन्य के विभागीय पूर्वक्षण एवं खनन कार्य हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया गया था जिसका राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 8.4.2008 को प्रकाशन हुआ था ।

इस क्षेत्र में खनिज मैगनीज हेतु पूर्वक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है । खनिज रियायती नियमावली, 1960 के नियम 59 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक को छोड़कर 30 दिन पश्चात् एतद् द्वारा खनिज मैगनीज एवं अन्य हेतु रिक्त घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत करते समय पूर्वक्षण कार्य पर हुए राजकीय व्यय की राशि को आवेदनकर्ता द्वारा राजकोष में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा ।

अनारक्षित किये जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्षेत्र का ब्यौरा
क्षेत्र निकट ग्राम बड़ीसर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
स्थायी बिन्दु टी.आई. 808, टोपोशीट नं. 45 H/10

से	तक	बियरिंग	दूरी (कि.मी. में)
टी.आई. 529	ऐ	208°00'	1.25
ऐ	बी	180°00'	2.00
बी	सी	270°00'	1.00
सी	डी	360°00'	2.00
डी	ऐ	90°00'	1.00
कुल क्षेत्रफल- ऐ,बी,सी,डी,ऐ- 2.00 वर्ग किमी.			

उक्त रिक्त घोषित होने वाले क्षेत्र के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 1 अगस्त से 30 अगस्त, 2010 की अवधि में खनि अभियन्ता कार्यालय, उदयपुर में पेश किये जा सकेंगे और इन प्राप्त आवेदन पत्रों को एक ही दिनांक को प्राप्त समझा जायगा तथा इनका निस्तारण एमएमआरडी एक्ट 1957 की धारा 11(3) सपठित धारा 11(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायगा ।

रिक्त घोषित किये जाने वाले क्षेत्र के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय खनि
अभियन्ता, उदयपुर एवं अधीक्षण भूवैज्ञानिक (फॉस्फेट), उदयपुर तथा निदेशालय खान
एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है ।

आज्ञा से,
६
(बी० एल० सैनी)
उप शासन सचिव

नोट:- उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 1(ख) में दिनांक
30-06-2010 को हो चुका है।



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांकRAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ 9, बुधवार, शाके 1932-जून 30, 2010
Asadha 9, Wednesday, Saka 1932-June 30, 2010

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 28, 2010

संख्या प.5(302)खान/ग्रुप-2/07:-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की अधिसूचना संख्या प.5(302)खान/ग्रुप-2/07 दिनांक 31 मार्च, 2008 द्वारा खनिज रियायती नियम, 1960 के नियम 75 के अन्तर्गत निकट ग्राम बड़ीसर आदि तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर में 2.00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनिज मैगनीज एवं अन्य के विभागीय पूर्वक्षण एवं खनन कार्य हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित किया गया था जिसका राजस्थान राज-पत्र विशेषांक में दिनांक 8-4-2008 को प्रकाशन हुआ था।

इस क्षेत्र में खनिज मैगनीज हेतु पूर्वक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है। खनिज रियायती नियम, 1960 के नियम 59 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र इस अधिसूचना के राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन की दिनांक को छोड़कर 30 दिन पश्चात् एतद्द्वारा खनिज मैगनीज एवं अन्य हेतु रिक्त घोषित किया जाता है। इस क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत करते समय पूर्वक्षण कार्य पर हुए राजकीय व्यय की राशि को आवेदनकर्ता द्वारा राजकोष में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

अनारक्षित किये जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

क्षेत्र का ब्यौरा

क्षेत्र निकट ग्राम बड़ीसर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

स्थायी बिन्दु टी.आई. 808, टोपोशीट नं. 45 H/10

से	तक	दियरिंग	दूरी (कि.मी. में)
टी.आई. 529	ए	208°00'	1.25
ए	बी	180°00'	2.00
बी	सी	270°00'	1.00
सी	डी	360°00'	2.00
डी	ए	90°00'	1.00
कुल क्षेत्रफल ए, बी, सी, डी, ए- 2.00 वर्ग किमी.			

उक्त रिक्त घोषित होने वाले क्षेत्र के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 1 अगस्त से 30 अगस्त, 2010 की अवधि में खनि अभियन्ता कार्यालय, उदयपुर में पेश किये जा सकेंगे और इन प्राप्त आवेदन पत्रों को एक ही दिनांक को प्राप्त समझा जायगा तथा इनका निस्तारण एमएमआरडी एक्ट 1957 की धारा 11(3) उपरिष्ठ धारा 11(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायगा।

रिक्त घोषित किये जाने वाले क्षेत्र के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर एवं अधीक्षण भूवैज्ञानिक (फॉस्फेट), उदयपुर तथा निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है।

आज्ञा से,
बी. एल. सेनी,
शासन उप सचिव-द्वितीय,
खान विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।